न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 80 सन् 2017

राज्य बनाम सत्यदेव गुप्ता उर्फ मनोज गुप्ता।

मु.अप.सं. : 13 सन् 2017

धारा : 138(बी) विद्युत अधिनियम

थाना : मुगलसराय जनपद : चन्दौली।

आरोप

मैं, जगदीश प्रसाद–V, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली आप अभियुक्त सत्यदेव गुप्ता उर्फ मनोज गुप्ता को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

यह कि किसी तिथि को किसी समय स्थान काली महाल वहद मुगलसराय, थाना कोतवाली मुगलसराय, जनपद चन्दौली में आप उपभोक्ता सत्यदेव गुप्ता के कनेक्शन का बकाया होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया। पुनः दिनाँक 29.12.2016 को समय करीब 13.30 बजे, अवर अभियन्ता अतुल कुमार पाण्डेय द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं अपनी टीम के साथ चेक करने पर पाया गया कि आपके द्वारा उक्त संयोजन के बकाया विद्युत बिल को बिना जमा किये व बिना विभागीय अनुमति के जोड़कर उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक : 30.09.2022,

(जगदीश प्रसाद–V)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

दिनाँक : 30.09.2022,

(जगदीश प्रसाद–V)
J.O.Code U.P. 5874
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

Digitally signed by JAGDISH PRASAD
Date: 2022.09.30 16:28:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court